यालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

मुकदमा नं. 45 / 2018 अंतर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956

उनवान :- राज्य सरकार बनाम हेतराम

निर्णय

दिनांक :- 12.11.

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में विव प्रकार है कि पटवारी हल्का जेतासर अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पे कि गैर सायल हेतराम पुत्र/पत्नी श्री पूर्णाराम जाति नायक निवासी जेतासर द्वारा ग्राम जेतासर के आराजी ख.नं. 1115/655 तादादी 21.[illegible] हैक्टेयर किस्म भूमि गै.मु. गोचर भूमि में से 0.14 हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर सम्वत् 20[illegible] में नाजायज पक्का मकान बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अत: इनके विरूद्ध नियमानुसर कार्यवाही का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 9 नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत् तामिल कराया गया। गैर सायल बावजूद वि नोटिस तामिल के असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध दिनांक 12.11.18 को ईकत कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेज/ सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं कि गया है। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सा द्वारा उक्त भूमि पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामि संबंधित कोई संतोषजनक जवाब/सबूत प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल हेतराम का उक्त ख.नं. 1115/655 तादादी 21.26 हैक्टेयर गै.मु.गोचर भूमि में से 0.14 हैक्टे./वर्गमी भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल हेतराम अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अत: गैर सायल हेतराम पुत्र/पत्नी श्री पूर्णाराम जाति नायक निवासी जेतासर द्वारा ग्राम जेतासर आराजी ख.नं. 1115/655 तादादी 21.26 हैक्टेयर गै.मु. गोचर भूमि में से 0.14 है० हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि का सम्वत् 2075 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता तथा लगान 0.14 रूपये का 50 गुणा से 7=00 रूपये शास्ती आरोपित की जाती है।

त.रा.ले. को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू.अ.नि.को अतिक्रमी को भौतिव रूप से बेदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.11.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।